राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– एफ.9(922)परि/आर.टी.ए./मु./02/II   जयपुर,दिनांकः

आदेश

विषयः– जयपुर शहर में एल.पी.जी. चालित ऑटो रिक्शाओं का स्कोप में वृद्धि किए जाने बाबत।

जयपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटोरिक्शा/तांगा के स्कोप निर्धारण से संबंधित विभागीय अधिसूचना क्रमांक फ.9(922)परि/आर.टी.ए./मु./2002/II /39379–389 दिनांक 20.12.2013 जारी कर स्कोप को 16000 से बढाकर 18000 किया गया था। अधिसूचना के क्रियान्वयन को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 39677 दिनांक 26.12.2013 द्वारा स्थगित किया गया था। आदेश दिनांक 26.12.2013 को एतद् द्वारा प्रत्याहारित (withdraw) किया जाता है। इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर नगरीय सीमा में केवल एल.पी.जी. संचालित होने वाले ऑटोरिक्शाओं के अनुज्ञा पत्रों की अधिकतम सीमा में की गई बढ़ोतरी के कारण उपलब्ध 2000 रिक्तियों के विरूद्व अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.05.2014 को सांय 6.00 बजे तक कार्यालय सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, झालाना डूंगरी, जयपुर में प्रस्तुत किए जा सकते है। सही पाये गये प्राप्त आवेदन पत्रों पर यदि आवश्यक हुआ तो लोटरी द्वारा परमिट स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
जयपुर।

क्रमांकः– एफ.9(922)परि/आर.टी.ए./मु./02/II/ 44130–132   जयपुर,दिनांकः 5/3/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सचिव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट, (मुख्यालय) आदेश को वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड कराने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
जयपुर।